

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 10, बुधवार, शाके 1947- दिसम्बर 31, 2025 Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 17, 2025

संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :-राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958 (1958 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-31) की धारा-27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व प्रसारित अधिसूचनाओं की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित क्षेत्रों के लिए एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निरीक्षक नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	अधिकारी	जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है
1	श्रम निरीक्षक, कुचामन-डीडवाना	कुचामन-डीडवाना जिला
2	श्रम निरीक्षक बाड़मेर	बाड़मेर जिला
3	श्रम निरीक्षक बालोतरा	बालोतरा जिला
4	श्रम निरीक्षक फलोदी	फलोदी जिला
5	श्रम निरीक्षक कोटपूतली-बहरोड	कोटपूतली-बहरोड जिला
6	श्रम निरीक्षक खैरथल-तिजारा	खैरथल-तिजारा जिला
7	श्रम निरीक्षक सलूमबर	सलूमबर जिला
8	श्रम निरीक्षक राजसमंन्द	राजसमंन्द जिला
9	श्रम निरीक्षक डीग	डीग जिला
10	श्रम निरीक्षक ब्यावर	ब्यावर जिला

राज्यपाल के आदेश से,
 धर्मपाल सिंह,
 अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
 पदेन संयुक्तशासन सचिव,
 राजस्थान, जयपुर।